बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या–5/आ0–4–101/2015– 1109 पटना, दिनांक– 15/12/17

श्री ईश्वरी प्रसाद, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरियारपुर, प्रमंडल मुंगेर के विरूद्व संसूचित आरोपों यथा–आर0पी0एस0 इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना में बिना विभागीय पूर्वानुमति के नामांकन कराने, अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर B.Sc. Engg. (civil) के Full Time Course की डिग्री प्राप्त करने तथा उक्त अध्ययन काल के दौरान अपने कार्यालय कार्य का संपादन करते हुए वेतन प्राप्त करने आदि से संबंधित आरोपों की जांच त्रिसदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी। उक्त समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्व प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये गये।

2. श्री प्रसाद के विरूद्व प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय आदेश सं0–42 दिनांक–27.01.2017 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

3. संयुक्त सचिव (प्र0को0)–सह–जांच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–541 (प्र0को0), दिनांक–16.05.2017 के द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित बताया गया। यद्यपि उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु सरकारी सेवक को अवकाश लेने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रावधान है, लेकिन श्री प्रसाद द्वारा बिना आवश्यक स्वीकृति के पूर्णकालिक B.Sc. Engg. (civil) की डिग्री प्राप्त की गई एवं अध्ययन की अवधि में वेतन प्राप्त की गई। जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–406 दिनांक–13.06.2017 के द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। श्री प्रसाद के पत्रांक–शून्य दिनांक–27.06.2017 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया। जबकि श्री प्रसाद को उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की गई है लेकिन उनके द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराए वेतन प्राप्त करते हुए पूर्णकालिक B.Sc. Engg. (civil) की डिग्री प्राप्त की गई है। विभाग द्वारा श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई एवं उनके प्रत्युत्तर को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया।

4. उक्त के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (iii) के अंतर्गत निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया–

(i) **श्री प्रसाद द्वारा अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हुए बिना अवकाश स्वीकृति के पूर्णकालिक B.Sc. Engg. (civil) की डिग्री प्राप्त करने की अवधि (15.03.2007 से 15.03.2011 तक) में कार्यालय कार्य का संपादन करते हुए प्राप्त किये गये वेतन सभी परिलब्धियों सहित की 12 (बारह) किस्तों में वसूली।**

14.12.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

Abh: order

ज्ञापांक–5 / आ0–4–101 / 2015– 1109 पटना, दिनांक– 15/12/17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ppatole 14.12.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5 / आ0–4–101 / 2015– 1109 पटना, दिनांक– 15/12/17

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेशित किया जाता है कि वेतन वसूली हेतु डिग्री प्राप्त करने की अवधि की अपने स्तर से जांच कर संतुष्ट होते हुए प्राप्त किए गए वेतन सभी परिलब्धियों सहित की गणना कर आदेशानुसार मासिक वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा श्री प्रसाद के स्थानांतरण होने पर अंतिम वेतन पूर्जे में वसूली हेतु शेष अवधि एवं राशि अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

Ppatole 14.12.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5 / आ0–4–101 / 2015– 1109 पटना, दिनांक– 15/12/17

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / प्रशाखा पदाधिकारी–2 / आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / श्री ईश्वरी प्रसाद, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरियारपुर, प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ppatole 14.12.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
14/12/17

Abhi order